भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 147
उत्तर देने की तारीख : **23** मार्च, 2012

संस्कृत विश्वविद्यालय और संस्कृत आयोग की स्थापना किया जाना

*147. श्री तरुण विजय:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का संसद के एक अधिनियम के द्वारा 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान' को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार एक ऐसे 'संस्कृत आयोग' की स्थापना करने का विचार रखती है, जो 1956 के प्रथम संस्कृत आयोग के कार्य को अद्यतन करेगा, उसे पूरा करेगा और इसे आगे भी जारी रखेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री कपिल सिब्बल)

(क) से (च): एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

संस्कृत विश्वविद्यालय और संस्कृत आयोग की स्थापना किए जाने के बारे में माननीय संसद सदस्य श्री तरूण विजय द्वारा दिनांक 23.03.2012 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 147 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (च): 15वें विश्व संस्कृत सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अध्ययन संघ की आम सभा द्वारा पारित संकल्पों, जिनमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को संसद के अधिनियम द्वारा पूर्ण विकसित केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय घोषित किया जाना और संस्कृत आयोग का गठन किया जाना शामिल है, पर विचार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति को अपनी सिफारिशें 3 महीने के अंदर प्रस्तुत करनी है।